कृपया प्रकाशनार्थ **25 जुलाई 2012**

भाजपा नेता व पूर्व पेट्रालियम मंत्री श्री. राम नाईक द्वारा
पुणे में 25 जुलाई 2012 को पत्रकार परिषद में प्रसारित वक्तव्य

पुणे, बुधवार : राष्ट्रीय स्तर पर संसद, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक तो राज्य में मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री के समक्ष पिछले पाच वर्षों में कुष्ठपीडितों की समस्याएं बार - बार रखने के बावजूद भी समाधान न होने के कारण अब 'कुष्ठपीडित मानवाधिकार प्रकोष्ठ' की स्थापना करने का निर्णय हुआ है. इंटरनैशनल लेप्रसी युनियन (आयएलयु) द्वारा आयोजित परिषद में यह निर्णय लिया गया. तीन दिवसीय इस परिषद का उद्घाटन करने के बाद पत्रकार परिषद में भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने यह जानकारी दी. पत्रकार परिषद में आयएलयु के अध्यक्ष डा. शरदचंद्र गोखले भी उपस्थित थे.

कुष्ठपीडितों की समस्याओं के संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, ''कुष्ठपीडितों के प्रतिनिधी मंडल ने पिछले महिने में 15 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील से, तो 20 जून को मुंबई में मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण से मिलकर कुष्ठपीडितों की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी. उसके पूर्व लगातार चार साल संसद में तथा केंद्र सरकार से समय - समय पर चर्चा की, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2007 को राज्यसभा में याचिका दर्ज करा के की थी. साथ ही साथ महाराष्ट्र में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री श्री. आर. आर. पाटील से पहली बार 6 अगस्त 2008 को मिल कर विचार विमर्श का सिलसिला जारी किया था. किंतु फिर भी इस समस्या को हल करने की दृष्टी से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. इसी बीच 13 मार्च 2012 को राज्यसभा में एक प्रश्न को उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2010 में दुनिया में 2,28,474 नए कुष्ठरुग्ण पाए गए, जिस में से 55.5 प्रतिशत याने 1,26,800 रुग्ण अकेले भारत में है. इस गंभीर परिस्थिती में अगर केंद्र तथा महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत ठोस कदम नहीं उठाएं तो परिस्थिती भयानक हो सकती है''.

''कुष्ठपीडितों के शरीर को तो उनकी बिमारी के कारण संवेदना नहीं होती मगर लगता है कि केंद्र तथा महाराष्ट्र सरकार भी उसी बिमारी के चपेट में आ कर संवेदनाहीन बनी है. इस परिस्थिती से रास्ता निकालने के लिए मानवाधिकार आयोग के सामने कुष्ठपीडितों की सामुहीक तथा व्यक्तिगत समस्याएं रखने के लिए आयएलयुने 'कुष्ठपीडित मानवाधिकार प्रकोष्ठ' की स्थापना करने का निर्णय किया है. प्रकोष्ठ के पदाधिकारीयों के नाम तीन दिवसीय परिषद के समापन के समय घोषित किए जाएंगे. पिछले कुछ महिनों में आयएलयु की ओर से मानवाधिकार आयोग के पास 64 आवेदन भेजे गए, जिनमें से 90 प्रतिशत मामलों में समाधान हुआ है'' ऐसा भी श्री. राम नाईक ने कहा.

..2..

केंद्र तथा राज्य सरकारों के समक्ष रखी कुष्ठपीडितों की प्रलंबित माँगों में से प्रमुख 14 माँगे निम्ननुसार है :- **1)** कुष्ठ पीडितों के सबलीकरण के लिए सामाजिक - आर्थिक पुनर्वसन नीति का निर्माण. **2)** राज्यसभा याचिका में निर्दिष्ट 16 कानूनों में सुधार. **3)** कुष्ठ पीडितों के भरण - पोषण के भत्ते में प्रति माह 2,000/- रुपए तक बढोत्तरी तथा सभी राज्यों में समान भत्ता. **4)** गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों को तथा अपाहिजों को मिलने वाले सभी सामाजिक तथा वित्तीय लाभ कुष्ठ पीडितों को भी प्रदान करना. **5)** जहाँ-जहाँ कुष्ठपीडितों की बस्ती है उस के भूमि लेख 7/12 पर वैसे स्पष्ट लिखा जाए और उनका पुनर्वसन किया जाए. **6)** कुष्ठ पीडितों की बस्तियों को नागरी सुविधाएं प्रदान करना. **7)** कुष्ठ पीडितों के बच्चों को उच्च शिक्षा के साधन तथा छात्रवृत्ति. **8)** कुष्ठपीडितों को स्वयंरोजगार के लिए कर्जा दिया जाए. **9)** कुष्ठपीडितों के पढे - लिखे बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए तथा उच्च शिक्षा के शुल्क में 75 प्रतिशत रियायत मिलें. **10)** कुष्ठ पीडितों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर वैट न लगाना. **11)** कुष्ठ रोग में कितनी बढोत्तरी / निर्मूलन हुआ यह देखने के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण. **12)** कुष्ठ रोग से संबंधित सेवाओं में कुष्ठ पीडितों की सहभागिता बढ़े इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के मार्गदर्शक सुझावों का कार्यान्वयन. **13)** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य उपक्रम की राज्य तथा जिला स्तरीय समितियों तथा कुष्ठ पीड़ितो के केंद्रिय पुनर्वसन मंडल पर कुष्ठ पीड़ितों का नामांकन. **14)** पिछले 12 वर्षों से प्रदेश में कुष्ठपीडित पुनर्वास समिति बनायी नही है, उसका गठन कर उसमें महाराष्ट्र कुष्ठपीडित संगठन के दो सदस्यों को लिया जाए, जिससे उनकी समस्याएं हल करना आसान होगा.

(कार्यालय मंत्री)